शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, सीहोर

Ph: 07562-224868 Email:polyprincipalsehore@gmail.com

—: मैस निविदा फार्म :—

मैस निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि – 21.07.2015

समय : 4.00 बजे तक

तकनीकी निविदा प्रपत्र 'अ' खोलने की तिथि – 21.07.2015

समय : 5:00 बजे

वित्त निविदा प्रपत्र 'ब' खोलने की तिथि – 22.07.2015

समय : 5.00 बजे

निविदा प्रपत्र मूल्य – रू. 2000/–

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय सीहोर (म.प्र.)

Ph/Fax:07562-224868 Email: Polyprincipalsehore@gmail.com

मैस संचालन हेतु निविदा प्रपत्र
'अ' (तकनीकी एवं वित्तीय निविदा हेतु निर्देश)

मध्यप्रदेश शासन द्वारा शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय सीहोर में अनुसूचित जाति की 300 छात्राओं के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर आवासीय योजना के तहत मैस संचालन किया जाना है।

1— **लिफाफा 'अ' तकनीकी निविदा इस सील बंद लिफाफे में निम्न दस्तावेज क्रम से संलग्न करें :—**

1. धरोहर राशि रूपये 1,25,000/— (रूपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र) तथा आवेदन शुल्क 2000/— का पृथक–पृथक बैंक ड्राफ्ट। (प्राचार्य शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, सीहोर के नाम से)
2. 150 व्यक्तियों की मेस चलाने का 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र।
3. विगत 03 वर्षों में से कम से कम एक वर्ष में 20 लाख रू. वार्षिक का टर्न ओव्हर होना चाहिए जिसके प्रमाण में चार्टर्ड एकाउंटेंट की रिपोर्ट, आयकर विवरणी की सत्यापित प्रति एवं आयकर सलाहकार प्रतिवेदन, फर्म का व्यापार एवं लाभ हानि खाता/आय तथा व्यय खाता एवं बेलेन्स शीट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन नंबर की सत्यापित छायाप्रति।
5. वाणिज्यकर विभाग से प्राप्त टिन नंबर की सत्यापित छायाप्रति।
6. पेन नंबर की सत्यापित छायाप्रति।
7. खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के वैद्य लायसेंस की सत्यापित छायाप्रति।
8. उपरोक्त दस्तावेज संलग्न टेक्निकल बिड की पूर्ति के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
9. इस सील बंद **लिफाफे 'अ' पर 'भोजन व्यवस्था हेतु तकनीकी निविदा' अंकित हो** तथा जिस पर प्राचार्य शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय सीहोर एवं निविदाकर्ता का नाम पता होना आवश्यक है। लिफाफा 'अ' में पूर्ण दस्तावेज होने के पश्चात् ही लिफाफा 'ब' खोला जावेगा। दस्तावेज अपूर्ण होने पर निविदा प्रकिया से पृथक कर दिया जावेगा।
10. लिफाफा 'ब' इस सील बंद लिफाफे में फायनेन्शियल बिड निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरकर रखी जावें तथा इस लिफाफे पर **लिफाफा 'ब' 'भोजन व्यवस्था हेतु वित्तीय निविदा' अंकित हो तथा जिस पर प्राचार्य, शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय सीहोर एवं निविदाकर्ता का नाम पता अंकित होना आवश्यक है।**
11. संस्था कार्यालय में समय पर प्राप्त तकनीकी निविदायें उसी दिवस दिनांक 21/07/2015 को दोपहर 5:00 बजे एवं वित्त निविदा प्रपत्र 'ब' दिनांक 22/07/2015 को दोपहर 5.00 बजे निविदाकर्ता/उनके प्रतिनिधी (प्रतिनिधि की दशा में अथॉरिटी लेटर अनिवार्य हैं) यदि उपस्थित होना चाहे के समक्ष प्राचार्य कक्ष में खोली जायेगी।
12. **चयनित निविदाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत देयक में से संस्था द्वारा समस्त लागू करों को काटकर संबंधित विभाग में जमा करने की जवाबदारी स्वयं निविदाकर्ता की होगी।**

13. निविदाकर्ता को भोजन व्यवस्था हेतु प्रतिदिन संलग्न मीनू के अनुसार संपूर्ण दिवस की चाय, दोपहर का खाना स्वल्पाहार रात्रि का खाना सम्मिलित कर एकजाई दर प्रतिदिन प्रतिछात्रा निर्धारित प्रपत्र में अंकित करनी होगी।

14. भोजन व्यवस्था हेतु कार्य शैक्षणिक सत्र 2015–16 तक के लिए दिया जाएगा। कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में समय पूर्व भी अनुबंध निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर राशि राजसात की जावेगी।

15. जिस निविदाकर्ता की निविदा मान्य की जाएगी उसे कार्य आदेश मिलने पर निर्धारित राशि रूपये 100/– के स्टाम्प पेपर पर लिखित अनुबंध करना होगा तथा आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर भोजन व्यवस्था प्रारंभ करनी होगी।

(* मैस का अर्थ:– वह स्थान जहां किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अशासकीय संस्था में निवासरत/कार्यरत/अध्ययनरत् कम से कम 150 छात्र–छात्राओं/व्यक्तियों की संपूर्ण भोजन व्यवस्था के अंतर्गत प्रातः चाय एवं नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम की चाय एवं रात्रिकालीन भोजन उपलब्ध कराया जाता है, उसे 'मैस' कहते है। मैस में चाय, नाश्ते एवं भोजन का समय निश्चित होता है एवं बाहर का कोई भी व्यक्ति/विद्यार्थी मैस में प्रवेश नहीं कर सकता है।)

'ब' (मैस संचालन हेतु निर्देश)

1. निविदाकर्ता को भोजन व्यवस्था संस्था द्वारा निर्धारित स्थल छात्रावास क्र. 1 एवं 2 में निर्धारित संलग्न मीनू के अनुसार प्रतिदिन पृथक–पृथक नाश्ता व भोजन उपलब्ध कराना होगा।

2. भोजन के लिए प्रयुक्त समाग्री मानक स्तर (प्रतिष्ठित ब्राण्ड/एगमार्क/आईएसआई) की होना अनिवार्य है। जिसका आकस्मिक निरीक्षण संस्था की समिति द्वारा किया जायेगा। ताजा भोजन एवं नाश्ता प्रतिदिन तैयार कर प्रदाय करना होगा व बचा हुये नाश्ते, भोजन का उपयोग किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।

2. भोजन व्यवस्था में उपयोग किये जा रहे बर्तन, समस्तं सामग्री एवं स्थल इत्यादि की सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा।

3. रसोई गैस, चूल्हा भट्टी, बिजली के उपरकण इत्यादि की व्यवस्था एवं उनसे संबंधित सभी प्रकार कि (विद्युत, अग्नि इत्यादि) सुरक्षा और प्रावधान निविदाकर्ता को स्वयं करने होंगे, (लकड़ी चूल्हा एवं हीटर पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा) भोजन निर्माण से लेकर छात्राओं को भोजन परोसने की समस्त व्यवस्था एवं सामग्री निविदाकर्ता को स्वयं करनी होगी।

4. निविदाकर्ता द्वारा भोजन व्यवस्था में लगाये गये कर्मचारियों से संबंधित नियमानुसार बीमा,दुर्घटना,क्षतिपूर्ति आदि की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी।

5. छात्राओं या भोजन प्रबन्धन समिति के सदस्यों द्वारा भोजन से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त की दशा में उनका तत्काल समाधान करना होगा अन्यथा अनुबंध निरस्त किया जायेगा। शिकायत दर्ज करने हेतु मेस में एक शिकायत एवं सुझाव रजिस्टर रखना होगा।

6. एक माह की पूर्णता पर निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत देयक का (सत्यापन पश्चात्) भुगतान किया जायेगा। विशेष परिस्थिति/अपरिहार्य कारणों से भुगतान में विलम्ब हेतु किसी भी प्रकार के ब्याज आदि का भुगतान/देय नहीं होगा।

7. प्राचार्य द्वारा भोजन व्यवस्था हेतु अधिकृत अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन निविदाकर्ता द्वारा किए जाने की बाध्यता होगी।

8. निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध जारी रखने में यदि असमर्थता व्यक्त की जाती है तो उसे कम से कम एक माह पूर्व संस्था को लिखित रूप से सूचित करना आवश्यक होगा।

9. छात्राओं की मेस में भोजन व्यवस्था में लगाये कर्मचारी में कम से कम 80 प्रतिशत महिला कर्मचारी होना आवश्यक हैं एवं एक महिला मेनेजर की व्यवस्था मेस ठेकेदार को अनिवार्य रूप से करना होगी। सभी मेस कर्मचारी निविदाकार द्वारा प्रदत्त यूनिफार्म में नाम की पट्टी लगाकर रहेंगे। कार्य करने वाले कर्मचारियों का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र तथा पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र निविदाकार द्वारा प्रस्तुत करना होगा।

11. छात्रावास की छात्राओं को भोजन के लिए समय निर्धारित किया गया है और यदि कोई छात्रा विशेष परिस्थिति में भोजन प्राप्त करने से छूट जाती है और वह भोजन मांगने आती है तो उसे केटरस द्वारा भोजन दिया जाना अनिवार्य होगा।

12. संस्था की भोजन समिति माह के प्रथम सोमवार को भोजन व्यवस्था पर बैठक करेगी तथा औचक निरीक्षण भी करेगी, जिसमें आवश्यकतानुसार सुझाव एवं सुधार के निर्देश निविदाकर्ता/उसके मेनेजर को पंजी पर दर्ज करवाए जावेंगे।

13. भोजन का देयक छात्राओं की छात्रावास में वास्तविक उपस्थिति एवं सत्यापन के आधार पर ही देय होगा।

14. पानी की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करना होगी।

15. मेस में विद्युत व्यवस्था हेतु सब मीटर की रीडिंग के अनुसार बिल का भुगतान ठेकेदार द्वारा 20 रूपये प्रति यूनिट के मान से प्रतिमाह संस्था में जमा करना होगा।

16. छात्रावास मैस में विद्युत उपकरणों के प्रयोग से मैस में होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति की पूर्ति स्वयं निविदाकार द्वारा की जायेगी। ऐसा न किये जाने पर उस माह के देयक से क्षतिपूर्ति की जायेगी।

17. छात्रावास मैस में कार्यरत् कर्मचारी प्रात 5:00 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक ही रूक कर कार्य करेंगे। निर्धारित समय के उपरांत मैस में कार्यरत् समस्त पुरूष एवं महिला कर्मचारियों का छात्रावास में रूकना प्रतिबंधित रहेगा।

18. भोजन प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा भोजन निरीक्षण के दौरान यदि मैस में कार्यरत् किसी कर्मचारी द्वारा किसी प्रकार की अभद्रता की जाती है तो ऐसी स्थिति में सफल निविदाकर्ता का अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

19. मैस में कार्यरत् कर्मचारियों का व्यवहार संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों, छात्राओं एवं छात्रावास के कर्मचारियों के प्रति शालीन एवं सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। अश्लील, आवांछित एवं अभद्र व्यवहार करने वाले कर्मचारियों की शिकायत मिलने पर उन्हें तत्काल कार्य से हटाना होगा अन्यथा अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा।

'स' (पैनाल्टी एवं दण्ड प्रावधान)

1. लंच एवं डिनर के पश्चात् किचिन एवं डायनिंग हाल के फर्श की सफाई नियमित रूप प्रतिदिन अनिवार्य रूप से करनी होगी। न करने की स्थिति में 1000 रू. प्रतिकार्य दिवस के रूप में अर्थदण्ड वसूला जावेगा।
2. भोजन की गुणवत्ता/स्वाद/मीनू अनुसार भोजन प्रदाय न करना/वासी भोजन का उपयोग करना या अन्य किसी कारण से यदि संस्था से कोई चेतावनी पत्र जारी होता है तो वह अंतिम होगा जिसके निराकरण की सीमा 3 दिवस होगी। व्यवस्था न होने या कुछ दिन उपरांत पुनः वही स्थिति निर्मित होने पर बगैर सूचना के निविदा समाप्त कर दी जावेगी। तथा सम्पूर्ण धरोहर राशि सुरक्षित राशि तथा चालू माह का बकाया देयक राजसात कर लिया जावेगा, साथ ही निविदाकर्ता फर्म का नाम काली सूची में अंकित कर भविष्य में निविदा में भाग लेने से भी वंचित कर दिया जावेगा।
3. निविदाकर्ता संस्था द्वारा प्रदाय कार्य का कुछ भाग या पूर्ण भाग अन्य किसी ठेकेदार/व्यक्ति को नहीं सौंपेगा यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा किसी अन्य निविदाकर्ता/व्यक्ति को कार्य सोंपता है या कार्य करता पाया जाता है तो उसका अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर जमा अवधान राशि राजसात करदी जावेगी एवं संबंधित फर्म को Blacklisted कर दिया जावेगा, जिसमें किसी भी तरह का पत्र व्यवहार नहीं किया जावेगा। तथा अगले निविदाकर्ता को कार्य आदेश दिया जावेगा। कार्यरत कर्मचारियों का पूर्ण बायोडाटा संस्था में प्रस्तुत करना होगा यदि किसी कर्मचारी का बदलाव अगर निविदाकर्ता द्वारा किया जाता है तो उसकी पूर्व सूचना संस्था प्रमुख को लिखित में मय पूर्ण दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करना होगी।
4. डिफाल्टर फर्म (तात्पर्य वह फर्म जिसे अनुबंध अवधि के पूर्व समाप्त किया गया हो) वह निविदा प्रकिया में भाग नहीं ले सकेगी।
5. ताजा भोजन एवं नाश्ता प्रतिदिन तैयार कर प्रदाय करना होगा। किसी भी दिवस बचे हुये नाश्ते एवं वासी भोजन का उपयोग करते पाये जाने पर उस दिन के देयक में से 5000/– का कटोत्रा किया जावेगा।
6. छात्रावास मैस में कर्मचारियों द्वारा गुटका, सिगरेट, तंबाकू एवं शराब का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इनका प्रयोग करते पाये जाने पर 500/– प्रति कार्य दिवस के रूप में अर्थदण्ड वसूला जावेगा।
7. निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध जारी रखने में यदि असमर्थता व्यक्त की जाती है तो उसे कम से कम एक माह पूर्व संस्था को लिखित रूप से सूचित करना आवश्यक होगा।
8. विशेष कारण उपस्थित होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।
9. किसी भी प्रकार के विवाद हेतु न्याय क्षेत्र सीहोर न्यायालय म.प्र. होगा।

नोट– प्रथम एवं द्वितीय निविदा में शामिल हो चुके निविदाकार रू. 2000 का ड्राफ्ट संलग्न नहीं करें।

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय सीहोर (म.प्र.)

छात्रावास मैस मीनू–चार्ट

दिन	सुबह की चाय एवं स्वल्पाहार निर्धारित समय पर (8.00 से 9.30)	दिन का खाना निर्धारित समय पर (1.30 से 2.30)	शाम की चाय निर्धारित समय पर (5.30 से 6.00)	रात्रि का खाना निर्धारित समय पर (8.00 से 9.30)
सोमवार	चाय (100 एम.एल), पोहा (150 ग्राम), जलेबी (100 ग्राम)	दाल, चावल, सब्जी (सीजनल) रोटी, अचार / सलाद	चाय (100 एमएल) बिस्किट (04 नग)	दाल, चावल, सब्जी (सीजनल) रोटी, अचार / सलाद
मंगलवार	चाय (100 एम.एल.), आलू बड़ा (02 नग, 75 ग्राम प्रतिनग)	—"—	—"—	—"—
बुधवार	चाय (100 एम.एल.), समोसा (02 नग, 75 ग्राम प्रतिनग)	—"—	—"—	—"—
गुरूवार	चाय (100 एम.एल.), पुरी (04 नग) आलू की सब्जी (एक कटोरी)	—"—	—"—	—"—
शुक्रवार	चाय (100 एम.एल.), भजिये (150 ग्राम)	—"—	—"—	—"—
शनिवार	चाय (100 एम.एल), इडली (100 ग्राम), साम्भर (एक कटोरी)	—"—	—"—	—"—
रविवार	चाय (100 एम.एल.), आलू पराठा (02 नग), दही (01 कटोरी), अचार	दाल / कढ़ी, चावल / खिचड़ी	—"—	पुरी,जीरा राईस, स्पेशल सब्जी (पनीर, छोले आदि), गुलाब जामुन (02 नग) / हलवा, सलाद, पापड़, अचार

टीप :–

1– चाय में दूध एवं पानी का अनुपात 1:1 होना चाहिए।

2– छात्राओं के व्रत के दौरान (नवरात्रि आदि) खिचड़ी / फलाहार की अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी।

3– सब्जी बदल–बदल कर बनानी होगी एवं प्रतिदिन सुबह एवं रात्रि के खाने में अलग–अलग सब्जी बनानी होगी तथा सीजन के अनुसार समावेश हो।

4– सलाद में प्याज / ककड़ी / खीरा / टमाटर देने होंगे।

5– छात्राओं की भोजन समिति की मांग पर मीनू में फेरबदल किया जा सकता है।

ENVELOPE 'A'

TECHNICAL BID

1. Name of the Company/Individual/firm/Organisation And Address (with telephone number) Mobile No. and email address (Shop & Establishment Regn. Copy) :

2. Name of contact person with Mobile No. and email address :

3. Name of the Proprietor /Director/Partner with technical Qualifications :

4. Past experience in the field of catering or mess services :

Period of Contract		Name of the Firm/ Person/ Organisation for whom contracts undertaken	Value of contract and other details	Remarks, if any
From	To			

(Please use additional sheets, if required)

5. List Organisation/ Persons to whom Catering services are presently being Rendered, along with certificate/ proofs. :

Period of Contract		Name of the Organisation	Name of the Contact Person of the Organization with Mob. No.	Value of contract (in Lacs)
From	To			

(Please use additional sheets, if required)

6. Annual turnover during the last three Financial Years (Attache Document) :

Financial Year	2012-13	2013-14	2014-15
Turnover (Rs. In lacs)			

7. Permanent Account Number of Company/Firm/Prip.:

8. Service Tax Registration No. :

9. Tin No. :

10. Registration No. of { Food Safety & Standard Act 2006 (fssai)} :

11. Caution Money Rs. 1,25,000/- Bank Draft No. :

12. Form Fee Rs. 2000/- Bank Draft No. :

Note : Incompelete form should not be Considered

Date :

Signature of the tenderer with seal

Name and Address

ENVELOPE 'B'

FINANCIAL BID

Description	Rate Per Student per day (Including all taxes)	
	In figure (Rs.)	In words (Rs.)
As per enclosed Menu		

Date :

Signature of the tenderer with seal

Name and Address